कार्यवृत्त

गुरूवार, 24 माघ, शक संवत्, 1935

(दिनांक 13 फरवरी, 2014 ई0)

खण्ड-38
अंक-8

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के सभी सदस्य नियम-310 के अन्तर्गत राज भाषा संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित करने के बाद भी हो रही उपेक्षा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे।

श्री अध्यक्ष ने कहा प्रश्नकाल के बाद इस पर विचार कर लेंगे। कृपया स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-310 में 01 सूचना प्राप्त हुई है। वे इसे ग्राह्यता पर नियम-58 में सुन लेंगे।

आज नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त 10 सूचनाओं में से निम्नांकित विषयों पर 06 सूचनाएं स्वीकृत हुई जिनमें से श्री हरबन्स कपूर, सदस्य विधान सभा की सूचना पढ़ी हुई मानी तथा शेष सूचनाएं सदस्यों द्वारा पढ़ी गयी :-

1. श्री पुष्कर सिंह धामी	''उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के संबंध में।"
2. श्री संजय गुप्ता	''विधान सभा क्षेत्र लक्सर में ग्राम मखियाली खुर्द से ग्राम मथाना तक सोलानी नदी की सफाई 12-15 वर्षो से न होने के कारण भारी मात्रा में सिल्ट जम जाने से किसानों तथा फसलों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में।''
3. श्री हरबन्स कपूर	''जी0एम0एस0 रोड से अनुराग नर्सरी, लबली मार्केट सम्पर्क मार्ग में जलभराव की समस्या के सम्बन्ध में।''
4. श्री चन्दन राम दास	''प्रदेश में विगत 1670 दिनों से आन्दोलनरत एस0एस0बी0 स्वयंसेवकों के समायोजित, रोजगार की मांग के संबंध में।"
5. श्री यतीश्वरानन्द	'' जनपद हरिद्वार में विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्राम पंचायत आदर्श टिहरी नगर की आन्तरिक सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में।''
6. श्री विशन सिंह चुफाल	''जनपद पिथैरागढ़ के डीडीहाट में स्वीकृत टैक्सी स्टैण्ड एवं बारात घर का निर्माण दो साल से बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में''

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के जूनियर हाईस्कूल अयारतोली के उच्चीकरण एवं प्रान्तीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री देवेन्द्र गोस्वामी, निवासी-ग्राम अयारतोली, पो0 बिनखोली, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के जूनियर हाईस्कूल गुरना के उच्चीकरण एवं प्रान्तीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री कृपाल सिंह नगरकोटी, निवासी-ग्राम गुरना, पो0 गुरना, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के शहीद राम सिंह बोरा जूनियर हाईस्कूल भगरतोला के उच्चीकरण एवं प्रान्तीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री शिव सिंह बिष्ट, निवासी-ग्राम भगरतोला, पो0 देवनाई, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के खरई क्षेत्र में महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में'' श्री बंसी लाल, निवासी- ग्राम भटखोला, पो0 छानी, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय असों को इण्टर में उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री हयात सिंह मेहता, निवासी-ग्राम पाना, पो0 असों, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम जाठा के काफलीगैर एवं खरेई क्षेत्र में गैस गोदाम खोले जाने के सम्बन्ध में'' श्री बालम सिंह बिष्ट, निवासी- ग्राम जाठा, पो0-काफलीगैर, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि दिनांक 12 फरवरी, 2014 को नियम-58 में दी गई सूचना का उत्तर पूर्णतया गलत है व सदन को गुमराह किया गया है। जिसके सम्बन्ध में नियम-65 में विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गई।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री राजेश शुक्ला एवं श्री बंशीधर भगत, आदि माननीय सदस्यों को सुनने के उपरान्त वे विशेषाधिकार हनन की सूचना को अग्राह्य करते हैं।

श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 01 बजकर 38 मिनट पर 3:00 बजे तक के लिये स्थगित कर दी।

भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

विपक्ष के सभी सदस्य पत्थर चट्टा स्थित सैनिक फार्म को खुर्द-बुर्द किए जाने के विरोध में 'वेल' में आकर अपनी-अपनी बात को जोर-जोर से कहने लगे तथा नारेबाजी करने लगे। जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के मध्य

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में दिनांक 13 फरवरी, 2014 से दिनांक 20 फरवरी, 2014 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

<u>फरवरी, 2014</u>

13 गुरूवार

1— वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय—व्ययक पर सामान्य चर्चा।

शेष कार्यक्रम यथावत रहेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी।

संसदीय कार्य मंत्री ने भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा सूचित किया गया कि आज नियम-58 के अन्तर्गत 10 सूचनाएं प्राप्त हुई।

श्री अध्यक्ष द्वारा ग्राहयता पर स्वीकार सूचनाओं पर माननीय सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 03 बजकर 09 मिनट पर 03 बजकर 30मिनट तक के लिए स्थगित की।

03 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि अध्यक्ष जी ने सदन का समय 04:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

04:00 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

विपक्ष के सदस्य पुनः अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर पत्थर चट्टा स्थित सैनिक फार्म को खुर्द-बुर्द करने के विरोध में अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात को जोर-जोर से कहने लगे।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण से सन्तुष्ट होकर अपने-अपने स्थान पर खड़े सदस्यों ने अपना-अपना स्थान ग्रहण किया।

नियम-58 की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे आज प्राप्त सभी सूचनाओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक पर चर्चा माननीय सदस्य श्री हरिदास के भाषण से आरम्भ हुई।

माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक ने 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 166 का उल्लेख करते हुए कहा कि मंत्रिमण्डल में विभागों का बटवारा नहीं हुआ है जिसकी अनुमति महामहिम राज्यपाल से लिया जाना आवश्यक है। जो नहीं ली गई है। अतः संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। नेता सदन व संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण से असन्तुष्ट होकर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अनुरोध किया कि कृपया मा0 अध्यक्ष महोदय अपना विनिश्चिय दें, इस पर व्यवधान होने के कारण श्री अध्यक्ष ने 04 बजकर 36 मिनट पर सदन का स्थगन 05 बजकर 15 मिनट तक के लिए किया।

05 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि अध्यक्ष जी ने सदन का समय 05 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।

05 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पुनः 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 166 (3) का उल्लेख करते हुए कहा कि जो पत्र संसदीय कार्य मंत्री से प्राप्त हुआ है उसमें संसदीय कार्य मंत्री के अतिरिक्त सभी विभागों को दायित्व मुख्यमंत्री के पास निहित है, जबकि मंत्रियों के दायित्वों का भार राज्यपाल की अनुमति से नहीं हुआ है।

इस पर नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी सदस्यों ने सदन का त्याग किया।

माननीय सदस्य, श्री मदन कौशिक द्वारा नियम-65 में दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने अपना विनिश्चय दिया कि मा0 सदस्य श्री मदन कौशिक द्वारा कल व्यवस्था के प्रश्न के अन्तर्गत यह बिन्दु उठाया गया कि मा0 मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रीमंडल के विभिन्न मंत्रियों को सदन में विभिन्न प्रश्नों के उत्तर, विधेयकों का उपस्थापन, चर्चा के उत्तर, आदि विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए प्राधिकृत करने हेतु जो पत्र जारी किया गया है वह महामहिम राज्यपाल का उल्लेख न होने के कारण असंवैधानिक है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 166(3) में व्यवस्था है कि राज्यपाल राज्य सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किये जाने के लिये और जहां तक वह कार्य ऐसा कार्य नहीं है जिसके विषय

में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे वहां तक मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिये नियम बनाएगा और संविधान की अपेक्षानुसार अधिसूचना संख्याः 02/1/2014, दिनांक 03 फरवरी, 2014 के द्वारा श्री राज्यपाल ने मुख्य मंत्री की सलाह पर उत्तराखण्ड कार्य बंटवारा नियमावली 2003 के नियम 3 के अधीन श्रीमती इन्दिरा हृदेयश को संसदीय कार्य एवं विधायी विभागों का कार्यभार सौंपा है। श्री राज्यपाल ने यह भी आदेश दिये है कि उत्तराखण्ड शासन के शेष अन्य विभाग/विषय मुख्यमंत्री के पास यथावत् रहेगें। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 166 की शब्दशः पूर्ति होती है।

अतः यह प्रकरण व्यवस्था के प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता मैं इसे मैं अस्वीकार करता हूँ।

आय व्ययक 2014-2015 पर माननीय नेता सदन ने उत्तर भाषण दिया।

संसदीय कार्य मंत्री ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदानः-

(1) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05 निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 466641 हजार (रूपये छियालीस करोड छियासठ लाख इक्तालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-05 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-05 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(2) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 44739341 हजार (रूपये चार हजार चार सौ तिहत्तर करोड़ तिरानवे लाख इक्तालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-07 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(3) राजस्व मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 20318239 हजार (रूपये दो हजार इक्तीस करोड़ बयासी लाख उनतालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-06 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-06 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(4) सहकारिता मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 500797 हजार (रूपये पचास करोड़ सात लाख सत्तानबे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-18 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(5) सिंचाई मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 12292414 हजार (रूपये एक हजार दो सौ उन्तीस करोड़ चौबीस लाख चौदह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-20 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

आज नियम-53 के अन्तर्गत 09 सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से-

विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत मेलाघाट एवं प्रवीन नदी पर बाढ़ नियन्त्रण की दो योजनाओं की स्वीकृति वर्ष 2013 में होने के उपरान्त अभी तक कार्य प्रारम्भ न होने विषयक श्री पुष्कर सिंह धामी की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया तथा,

जिला हरिद्वार में शिक्षा विभाग में मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों में मध्याह्न भोजन योजना न चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सरवत करीम अंसारी की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत विकास खण्ड थौलधार के विभिन्न नव मोटर मार्गो के लम्बित प्रस्तावों के संबंध में श्री महावीर सिंह रागड़, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया, तथा

विधान सभा क्षेत्र सल्ट के तल्ला सल्ट में मछोड़ नामक स्थान पर तहसील की मांग के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, राजस्व मंत्री ने केवल वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

सदन की कार्यवाही 07 बजकर 15 मिनट पर सोमवार दिनांक 17 फरवरी, 2014 के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
गोविन्द सिंह कुंजवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।